राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

निगरानी संख्या – 288 / 2014 / अलवर.

श्रीमती मन्जू देवी पत्नी संजीव कुमार शर्मा
नारनोल–हरियाणा। ......प्रार्थी.

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए उपंपजीयक अलवर ....अप्रार्थी.

एकलपीठ
श्री बी. के. मीणा – अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री हगामीलाल चौधरी,
अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से.
श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 22 / 09 / 2015

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह निगरानी उपमहानिरीक्षक, पंजियन एवं मुद्रांक, अलवर (जिसे आगे कलेक्टर कहा जायेगा) द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 27.01.2014 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 65(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी श्रीमती मन्जू पत्नी श्री संजीव कुमार द्वारा एक भूखण्ड क्रय करने हेतु रू0 16030/– के मुद्रांक पत्र दिनांक 18.04.2013 को खरीद कर निष्पादित किये गये। तत्पश्चात उक्त सौदा निरस्त हो जाने के कारण उक्त टंकित मुद्रांक पत्र प्रार्थी के काम में नहीं आने से मुद्रांक पत्र की राशि रिफण्ड हेतु प्रार्थी द्वारा रिफण्ड प्रार्थना पत्र कलेक्टर के समक्ष दिनांक 18.11.2013 को प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर द्वारा प्रार्थी के टंकित मुद्रांक पत्र राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 58(घ)(vi) के अन्तर्गत आना मानते हुए इनके रिफण्ड का प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 59(i) में निर्धारित समय सीमा 2 माह में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण इसे अवधि बाहर मानते हुए आदेश दिनांक 27.01.2014 से खारिज कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा कलेक्टर के आदेश दिनांक 27.01.2014 से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि कैन्सिल हो जाने के कारण विक्रय दस्तावेज निष्पादित (executed) नहीं हो पाया। इस प्रकार सौदा नहीं होने से प्रार्थी का मामला राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 58(घ)(iv) के तहत आता है तथा ऐसे मुद्रांक पत्रों के रिफण्ड के लिये कलेक्टर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु मुद्रांक अधिनियम की धारा 59(iii) के प्रावधानों के अन्तर्गत 6 माह की अवधि निर्धारित की हुई है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा उक्त विधिक प्रावधानों एवं प्रार्थी द्वारा

-3672

लगातार.......................2

प्रस्तुत मुद्रांक विक्रेता के विक्रय रजिस्टर की प्रति तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त की अनदेखी करते हुए प्रार्थी का प्रकरण मुद्रांक अधिनियम की धारा 58(घ)(vi) के अन्तर्गत विक्रेता के निष्पादित विक्रय दस्तावेज के क्रियान्वयन से इन्कार अथवा क्रेता के वांछित अग्रिम राशि अदा नहीं करने का मामला मानकर इस प्रकरण में रिफण्ड प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अवधि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 59(i) के अनुसार दो माह मानते हुए प्रार्थी के रिफण्ड प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किये जाने में विधिक भूल की गई है। उक्त कथन के साथ प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर उसके द्वारा क्रय किये गये मुद्रांक रिफण्ड हेतु कलेक्टर को निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया।

विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा कलेक्टर के निगरानी अधीन आदेशों का समर्थन करते हुए प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकरण में क्रेता प्रार्थी द्वारा विक्रेता से विवादित अराजी क्रय करने का विक्रय पत्र गैर न्यायिक मुद्रांक रूपये 16030/– पर दिनांक 18.04.2013 को टंकित होने के पश्चात विक्रेता व क्रेता के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद सौदा निरस्त होने से इन मुद्रांकों को वांछित उपयोग में नहीं लिये जा सकने के कारण मुद्रांक–पत्रों की राशि रिफण्ड हेतु प्रार्थी द्वारा कलेक्टर के समक्ष रिफण्ड प्रार्थना पत्र दिनांक 18.11.2013 को प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर द्वारा प्रार्थी का मामला मुद्रांक अधिनियम की धारा 58(घ)(vi) के अन्तर्गत आना मानते हुए प्रार्थी की ओर से रिफण्ड प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किये जाने के आधार पर आदेश दिनांक 27.01.2014 से इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि क्रेता/विक्रेता द्वारा दस्तावेज निष्पादित होने की स्थिति में सौदा निरस्त हो जाने से प्रार्थी का प्रकरण राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 58(घ)(vi) के अन्तर्गत आने के कारण अपीलार्थी द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण में चस्पा नहीं होना पाते हुए प्रार्थी के मुद्रांक रिफण्ड हेतु प्रार्थना पत्र लेख्य पत्र निष्पादित होने की तिथि से दो माह की अवधि में प्रस्तुत नहीं किये जाने से मियाद बाहर है।

प्रकरण में प्रश्नगत सम्पत्ति का विक्रय पत्र प्रार्थी (क्रेता) एवं विक्रेता के मध्य दिनांक 18.04.2013 को 16030/– के मुद्रांक पत्रों पर टंकित होने के पश्चात इस पर विक्रेता एवं क्रेता दोनों के हस्ताक्षर हो जाने के बाद इस निष्पादित दस्तावेज का सौदा निरस्त हो जाने से प्रार्थी का प्रकरण मुद्रांक अधिनियम की धारा 58(घ)(vi) के अन्तर्गत आता है एवं मुद्रांक अधिनियम की धारा 58(घ)(vi) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरण में मुद्रांक रिफण्ड हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अवधि मुद्रांक अधिनियम की धारा 59(i) के तहत दस्तावेज निष्पादन से 2 माह निर्धारित है। प्रकरण में प्रार्थी (क्रेता) एवं विक्रेता द्वारा

– 3ला

लगातार........................3

दिनांक 18.04.2013 को निष्पादित विक्रय पत्र का सौदा निरस्त होने पर इस विक्रय विलेख के मुद्रांक रिफण्ड हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र कलेक्टर के समक्ष दिनांक 18.11.2013 को अर्थात् 6 माह पश्चात प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा कलेक्टर के समक्ष मियाद बाहर प्रस्तुत किये गये रिफण्ड प्रार्थना पत्र अथवा शपथ पत्र में उक्त रिफण्ड प्रार्थना पत्र निर्धारित समयावधि में पेश नहीं करने सम्बन्धी unavoidable circumstances का कोई प्रमाण/साक्ष्य भी पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा विवादित अराजी क्रय करने का सौदा कैन्सिल होने पर क्रेता/विक्रेता द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख के मुद्रांक रिफण्ड हेतु प्रार्थना पत्र निर्धारित अवधि 2 माह में पेश नहीं किये जाने सम्बन्धी युक्तियुक्त कारण कलेक्टर के समक्ष नहीं किये गये।

ऐसी स्थिति में प्रार्थी की ओर से क्रेता/विक्रेता दोनों द्वारा निष्पादित विक्रय–विलेख से सम्बन्धित मुद्रांक रिफण्ड हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से कलेक्टर द्वारा अपीलार्थी के रिफण्ड हेतु प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की। अतः कलेक्टर का आदेश विधिसम्मत होने से उसकी पुष्टि करके यथावत् रखा जाता है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई निगरानी एतद्द्वारा अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(बी के मीणा)
अध्यक्ष